बिहार सरकार

डेयरी, मत्स्य एवं पशु संसाधन विभाग

पशुपालन निदेशालय

विकास भवन, नया सचिवालय, पटना-15

बिहार सरकार

पत्रांक– 8 बजट (1) 17/2025......114 (नि०) आ०   दिनांक– ....02/01..../2026

प्रेषक

उज्ज्वल कुमार सिंह, भा०प्र०से०
निदेशक, पशुपालन, बिहार।

सेवा में

सहायक निदेशक,
पशुपालन सूचना एवं प्रसार, बिहार, पटना।

विषय :– **वित्तीय वर्ष 2025–26 में मांग सं0 02, राज्य स्कीम के अधीन बजट शीर्ष 2403–पशुपालन, 101– पशु चिकित्सा सेवाएं तथा पशु स्वास्थ्य, 0101– अस्पताल औषधालय तथा अन्यान्य स्थापना, विपत्र कोड 02–2403001010101, 2403–पशुपालन 789– अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना, 0111– अस्पताल औषधालय तथा अन्यान्य स्थापना, विपत्र कोड 02–2403007890111 एवं 2403–पशुपालन 796– जनजातीय क्षेत्र उपयोजना, 0130– अस्पताल औषधालय तथा अन्यान्य स्थापना, विपत्र कोड 02–2403007960130 के अन्तर्गत कुल ₹77,00,000/– (सतहत्तर लाख) मात्र का आवंटन।**

महाशय

उपर्युक्त विषय के अन्तर्गत चालू वित्तीय वर्ष 2025–26 में व्यय को वहन करने हेतु विभागीय राज्यादेश संख्या 1941 दिनांक 30.04.2025 के आलोक में पशुपालन निदेशालय के आवंटनादेश संख्या 61 (नि0) आ0 दिनांक 27.08.2025 के क्रम में निम्न तालिका के अनुसार कुल ₹ 77,00,000/– (सतहत्तर लाख) मात्र आवंटित किये जाते है:–

क्र० सं०	विषय शीर्ष	विपत्र कोड– 02–2403001010101			विपत्र कोड– 02–2403007890111			विपत्र कोड– 02–2403007960130			कुल आवंटित राशि (रू0 में)		
		पूर्व का आवंटन	अतिरिक्त आवंटन	कुल आवंटन	पूर्व का आवंटन	अतिरिक्त आवंटन	कुल आवंटन	पूर्व का आवंटन	अतिरिक्त आवंटन	कुल आवंटन	पूर्व का आवंटन	अतिरिक्त आवंटन	कुल आवंटन
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	16 01– प्रकाशन एवं मुद्रण	16,25,000	8,75,000	25,00,000	14,30,000	7,70,000	22,00,000	3,57,500	1,92,500	5,50,000	34,12,500	18,37,500	52,50,000
2	26 01– विज्ञापन और प्रकाशन	91,00,000	49,00,000	1,40,00,000	14,30,000	7,70,000	22,00,000	3,57,500	1,92,500	5,50,000	1,08,87,500	58,62,500	1,67,50,000
	योग:–	**1,07,25,000**	**57,75,000**	**1,65,00,000**	**28,60,000**	**15,40,000**	**44,00,000**	**7,15,000**	**3,85,000**	**11,00,000**	**1,43,00,000**	**77,00,000**	**2,20,00,000**

(सतहत्तर लाख) मात्र।

2. इस राशि का व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2025–26 में मांग सं०–02 राज्य स्कीम के अधीन बजट शीर्ष 2403–पशुपालन, 101– पशु चिकित्सा सेवाएं तथा पशु स्वास्थ्य, 0101– अस्पताल औषधालय तथा अन्यान्य स्थापना, विपत्र कोड 02–2403001010101, 2403–पशुपालन, 789– अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना, 0111– अस्पताल औषधालय तथा अन्यान्य स्थापना, विपत्र कोड 02–2403007890111 एवं 2403–पशुपालन, 796– जनजातीय क्षेत्र उपयोजना, 0130– अस्पताल औषधालय तथा अन्यान्य स्थापना, विपत्र कोड 02–2403007960130 के अन्तर्गत विकलित होगा।

3. यह आवंटन वित्तीय वर्ष 2025–26 के लिये राज्य स्कीम के अन्तर्गत पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग, बिहार के द्वारा पशुओं के द्वारा पशुपालकों के जनजागरूकता हेतु पशुओं से संबंधित राज्य स्तरीय वृहद् मेला यथा– डेयरी एक्सपो, गोटरी एक्सपो एवं पॉल्ट्री एक्सपो का अयोजन, हरिहर क्षेत्र, सोनपुर मेला, बिहार दिवस, सरस मेला एवं अन्य अवसरों पर आयोजित कार्यक्रमों में प्रचार–प्रसार की योजना हेतु दिया जा रहा है।

4. वित्त विभाग के पत्रांक 2561/वि० (2) दिनांक 17.04.98, पत्रांक 228/वि०, दिनांक 28.03.2025, पत्रांक 235/वि० दिनांक 01.04.2025 एवं पत्रांक 950/वि0 दिनांक 12.12.2025 के आलोक में राशि आवंटित की जा रही है तथा राशि की निकासी में उक्त परिपत्र के प्रत्येक अनुदेश का अक्षरशः अनुपालन आपके द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा।

(क) एक मद की राशि दूसरे मद में व्यय नहीं की जाय।

(ख) निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी का यह दायित्व है कि वित्तीय नियमावली के भाग–1 के नियम 475 का अनुपालन दृढ़तापूर्वक करें ताकि व्यय पर नियंत्रण रखा जा सके और किसी भी हालत में आवंटित राशि से अधिक व्यय नहीं किया जाय।

(ग) आवंटित राशि में हुए व्यय की सूचना टी०भी० नम्बर एवं तिथि के साथ अधोहस्ताक्षरी को प्रत्येक माह की 7वीं तारीख तक निश्चित रूप से उपलब्ध करायी जाय।

(घ) वित्तीय वर्ष 2025–26 का प्रत्यर्पण प्रतिवेदन 15 मार्च 2026 तक अवश्य भेजा जाय।

5. जनहित में योजना के उद्देश्य की पूर्ति हेतु वित्तीय/प्रशासनिक शक्तियों के अधीन बिहार वित्त (संशोधन) नियमावली, 2005 में निहित प्रावधानों का अक्षरशः अनुपालन सुनिश्चित करते हुए आवंटित राशि का व्यय किया जाये। इसके निमित्त संबंधित निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी की व्यक्तिगत जवाबदेही निर्धारित की जाती है।

विश्वासभाजन

निदेशक, पशुपालन।

ज्ञाप संख्या– 8 बजट (1) 17/2025...114 (नि.)...आ०/ पटना–15, दिनांक...02.../...1.../2026

प्रतिलिपि– उप महालेखाकार (वन लोन एवं लेखा) बिहार, पटना को उनके पत्र संख्या–टी०ए०–57–96–97–प०पा०–9–46 दिनांक 2 अगस्त 96 के प्रसंग में एवं उप महालेखाकार (अंकेक्षण) बिहार, पटना को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि– संबंधित प्रमंडलीय आयुक्त/संबंधित जिलाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि– उप सचिव, वित्त विभाग बिहार को उनके पत्रांक एम0–405/98 पार्ट–3909 वि० (2) दिनांक 30.06.99 के प्रसंग में एवं आन्तरिक वित्तीय सलाहकार, डेयरी, मत्स्य एवं पशु संसाधन विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि– कोषागार पदाधिकारी, पटना समाहरणालय, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि– माननीय मंत्री, डेयरी, मत्स्य एवं पशु संसाधन विभाग, बिहार, पटना के आप्त सचिव/अपर मुख्य सचिव के आप्त सचिव, डेयरी, मत्स्य एवं पशु संसाधन विभाग, बिहार, पटना/लेखा शाखा–09/योजना शाखा–10 एवं 06, पशुपालन, बिहार, पटना/ आई०टी० मैनेजर, डेयरी, मत्स्य एवं पशु संसाधन विभाग को (विभागीय वेवसाइट पर अपलोड एवं ई–मेल करने हेतु) सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

निदेशक, पशुपालन।